विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/वाहन चालक/2020/388 **दिनांकः 22/07/2020**

राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला न्यायालयों में वाहन चालक (CHAUFFEUR/DRIVER) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2020

1- राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) [Rajasthan High Court Staff Service Rules, 2002] (As amended) के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में वाहन चालक (CHAUFFEUR/DRIVER) एवं राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 (यथासंशोधित) [Rajasthan Subordinate Courts (Driver and Class-IV Employees) Service Rules, 2017] के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान के जिला न्यायालयों में वाहन चालक (DRIVER) के निम्न उल्लेखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाईन प्रारूप (Online Format) में ऑनलाईन आवेदन (Online Applications) आमंत्रित किये जाते हैं। चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार दो वर्ष की अवधि तक रूपये 14,600/- (fixed) प्रतिमाह पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में रहेंगे। परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें नियमानुसार पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या L-5 के अनुसार पे–स्केल रू. 20,800–65,900/– संदेय होगा।

विशेष नोटः–

(1) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) एवं राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 (यथासंशोधित), विस्तृत विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश (Instructions) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट http://www.hcraj.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(2) आवेदक Online Application में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

2- **रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण (Number of Vacancies & Reservation)** :–

राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला न्यायालयों में वाहन चालक की रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण संस्थावार, जिला–न्यायक्षेत्रवार एवं वर्गवार निम्न संलग्नानुसार है :–

A. **राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु वाहन चालक (CHAUFFEUR)** :– **संलग्नक – 1**

B. **राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी हेतु वाहन चालक (DRIVER)** :– **संलग्नक – 1**

C. **राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु वाहन चालक (DRIVER)** :– **संलग्नक – 1**

D. **जिला न्यायालयों हेतु वाहन चालक (DRIVER)** :– **संलग्नक – 2**

महत्त्वपूर्ण नोट (Important Notes):–

i. उपर्युक्त रिक्त पदों की संख्या में किसी भी समय नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञप्ति/शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जायेगा।

ii. अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार चयन सूची तैयार करते समय विज्ञापित पदों के 50 प्रतिशत की सीमा तक उपयुक्त (suitable) अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार रिजर्व सूची भी तैयार की जा सकेगी।

iii. **वाहन चालक के पद की कार्य–प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इन पदों पर दिव्यांगजन को आरक्षण देय नहीं है।**

iv. अंतिम परिणाम घोषित करने के पश्चात एवं नियुक्ति की अनुशंसा किये जाने से पूर्व चयनित अभ्यर्थियों से संस्थावार अर्थात राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला न्यायक्षेत्रों (जिलों के नाम), जिसमें वे नियुक्ति के इच्छुक हैं, हेतु प्राथमिकतानुसार विकल्प लिया जा सकेगा।

v. अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा, उनके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार की जा सकेगी, जो कि अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के अध्यधीन रहेगी।

vi. नियुक्ति के सम्बन्ध में समस्त अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के विवेकाधीन होंगे।

22.7.2020